



Neutral Citation No.- 2026:AHC:40304

इलाहाबाद उच्च न्यायालय,

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 6252/2026

साहब सिंह

....याचिकाक

र्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिपक्षीगण

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता	: अकील अहमद, अरविंद सिंह कुशवाहा, कृपा शंकर तिवारी, वैभव त्यागी,
प्रतिपक्षीगण के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता,

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुना और अभिलेख में प्रस्तुत तथ्यों का अवलोकन किया।
2. यह आवेदक की ओर से दायर किया गया दूसरा जमानत आवेदन है। उनकी पहली जमानत याचिका को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27.01.2026 को आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या 25270/2025 में पारित आदेश द्वारा वापस ले लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया था।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि यद्यपि पीड़िता ने अपने बयान संख्या 180 और 183 बीएनएसएस में आवेदक के खिलाफ बलात्कार का विशिष्ट आरोप लगाया है, लेकिन मुकदमे की सुनवाई के दौरान पीड़िता (पी.डब्लू-1) ने अपने बयान में आवेदक के खिलाफ

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



बलात्कार का कोई आरोप नहीं लगाया है और उसने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है, जिसका बयान जमानत याचिका के समर्थन में दायर हलफनामे के अनुलग्नक-11 के रूप में संलग्न है। इस प्रकार, यह तर्क दिया जाता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अपने प्रकरण को संदेह से परे साबित करने और आवेदक को दोषी ठहराए जाने की संभावना बहुत कम है। आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोपों की असत्यता को प्रदर्शित करने के लिए कई अन्य दलीलें भी न्यायालय के समक्ष रखी गई हैं। अधिवक्ता के अनुसार, जिन परिस्थितियों के कारण आरोपी को झूठा फंसाया गया, उनका भी उल्लेख किया गया है। आवेदक की ओर से यह आश्वासन भी दिया गया है कि वह विधि के अनुपालन के लिए तत्पर है और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा तथा न्यायालय द्वारा उचित समझी जाने वाली सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है। आवेदक ने आगे बताया कि वह 8 मई 2025 से जेल में बंद है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत याचिका का यह कहकर विरोध किया है कि मुकदमे की समाप्ति से पहले आवेदक की निर्दोषता का निर्णय नहीं किया जा सकता, इसलिए वह किसी प्रकार की रियायत का पात्र नहीं है। हालांकि, उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया है कि पीड़िता ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपने बयान में अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया है और उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है।

5. सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, अपराध की गंभीरता और प्रकरण की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय इसे जमानत के लिए उपयुक्त प्रकरण मानता है। तदनुसार, जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

6. आवेदक साहब सिंह को मुकदमा अपराध संख्या 287/2025, बीएनएस की धारा 137(2), 64, 87 और बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम की धारा 3/4 के तहत, पुलिस स्टेशन खैर, जिला अलीगढ़ में, व्यक्तिगत मुचलके पर और दो स्थानीय जमानतों को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि में प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



- ii) आवेदक अभियोजन गवाहों को धमकाएगा या परेशान नहीं करेगा।
 - iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा।
 - iv) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा जिसका उस पर आरोप है या जिसके किए जाने का संदेह है।
 - v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्यों का खुलासा करने से रोके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।
7. उपरोक्त उल्लिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय कानून के अनुसार आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।
8. विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह मुकदमे को शीघ्रता से समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करे।

(माननीय न्यायमूर्ति गौतम चौधरी)

23 फरवरी, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"